कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद

आदेश क्रमांक जी-1/01/ 2991-94 दिनांक 31-03-2001

विषय : माध्यमिक स्तरीय स्थाई मान्यता ।

आम शिक्षा संस्कार स्कूल गाँव पाली फरीदाबाद को 1-4-2000 से छठी से आठवी कक्षा (मिडिल विभाग) तक की स्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शिक्षा विभाग हरियाणा से किसी भी पद की स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता की मॉंग नही करेगी तथा अपने ही खर्चे पर स्कूल चलायेगी ।
2. भविष्य में निर्धारित नाम अनुसार विद्यालय में सभी अध्यापक रोजगार कार्यालय के माध्यम से रखे जायेंगे ।
3. विद्यालय मे कार्यरत अध्यापकों के छः मास के बराबर की राशि जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद के नाम प्लज्ड करायेंगे । यदि राशि प्लज्ड ना कराई तो मान्यता रद्द की जायेगी ।
4. वेतन का भुगतान के बैंक द्वारा किया जाये ।
5. सभी अध्यापकों की सी0 पी0 एफ0 की राशि स्थानिय बैंक में जमा कराई जाये ।
6. संस्था की धारा 214-219 के अन्तर्गत सभी एजूकेशन कोड शर्तों को पूरा करना होगा यदि किसी भी समय निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो मान्यता रद्द कर दी जायेगी ।
7. सी0 डब्ल्यू0 एफ0 रेडक्रास तथा स्पोर्ट्स फन्ड की राशि का शेयर विभाग के नियमानुसार हर वर्ष अगस्त से पहले जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय मे जमा कराना होगा ।
8. शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी विद्यालय के रिकार्ड एवं शैक्षणिक कार्य को किसी भी समय चैक कर सकता है ।
9. एजूकेशन कोड की धारा 159 के अन्तर्गत भवन इत्यादि नाम अनुसार पूर्ण करना होगा।

Sd/-
जिला शिक्षा अधिकारी
फरीदाबाद ।

पृष्ठ क्रमांक : सम दिनांक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।
उपमण्डल शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद/बल्लभगढ़ ।
सम्बंधित विद्यालय का मुखिया ।
बी0 एस0 ई0 भिवानी ।

District Education Officer
FARIDABAD
जिला शिक्षा अधिकारी,
फरीदाबाद
1/8/01